न्यायालय तहसीलदार बीकानेर

मिसल नं0 04/19 निर्णय दिनांकः–

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि संवत् 2076 में गैर सायल श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] जाति [illegible] निवासी ग्राम [illegible] ने ग्राम [illegible] के खसरा नं0 252 के तादादी 0.24 है0 क्षेत्रफल.................. में नाजायज.............................. गैर मुमकिन राजकीय ओरण/जोहड पायतान/ गोचर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर गैर सायल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। जिससे साबित होता है कि अतिक्रमी ने जान–बूझकर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है।

गैर सायल श्री [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] द्वारा ग्राम [illegible] के खसरा नं0 252 तादादी 0.24 है0 भूमि में अतिचार करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा–91 के प्रावधानों के अनुसार श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं भू–राजस्व .348 रू0 का 50 गुणा कुल दर ..../....... राशि 18 रू0............ का तावान से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखल कर खडी फसल को कुर्क कर फसल नीलामी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त [illegible] तथा पटवारी प0ह0 [illegible] को आदेश दिये जाते है। अतिक्रमी को [illegible] भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत् पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 2.1.019 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।

तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर

Scanned by CamScanner